ISSN : 2249-4146

स्त्रीकाल

(स्त्री का समय और सच)

स्त्री-विमर्श का त्रैमासिक

अंक : 3-4, 2022

मूल्य : 100 रुपये

पीअर रिव्यूड पत्रिका

भारत की पहली आदिवासी महिला
राष्ट्रपति बनीं द्रौपदी मुर्मू

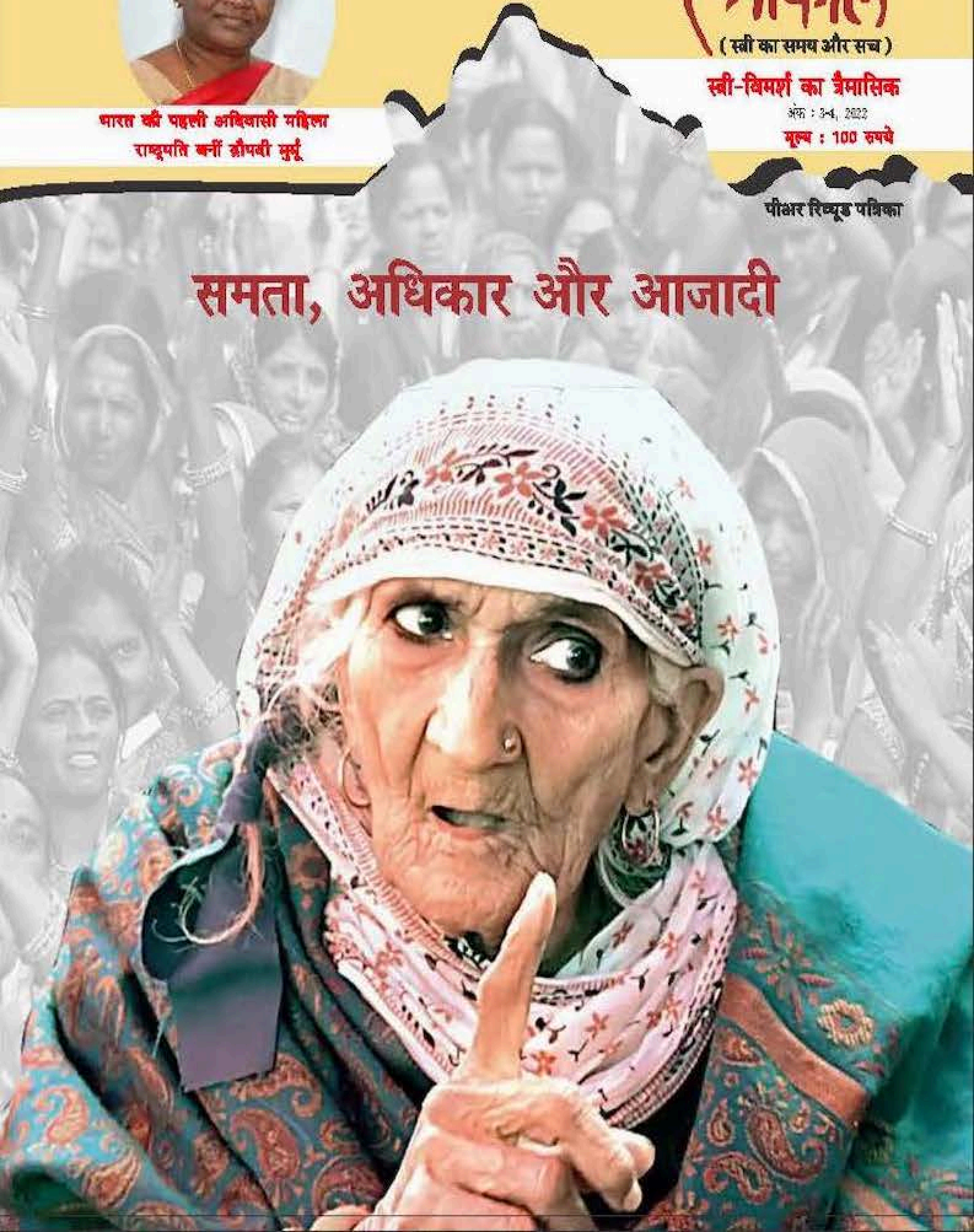

समता, अधिकार और आजादी

हमारी पुस्तकें

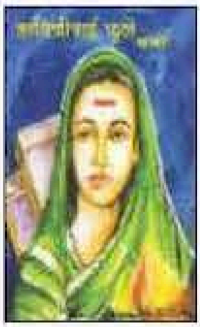
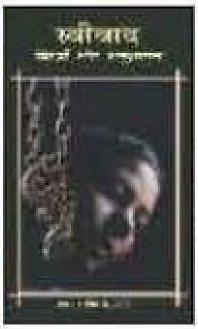

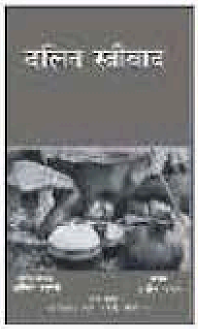

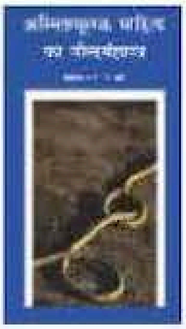

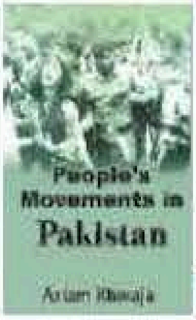

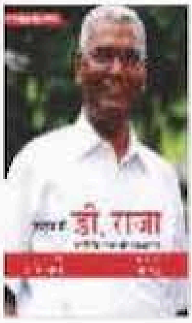

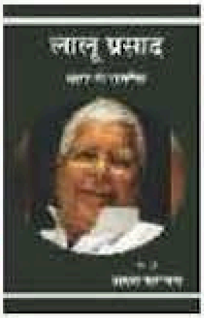

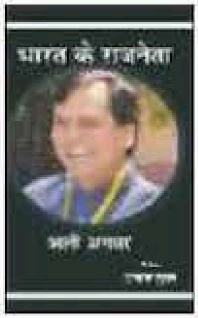

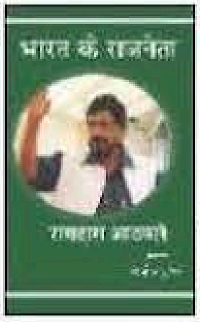

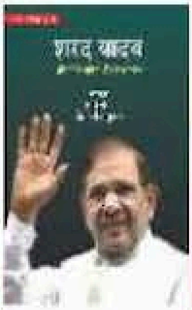

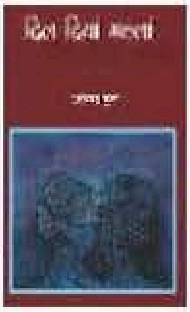

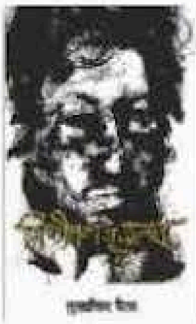
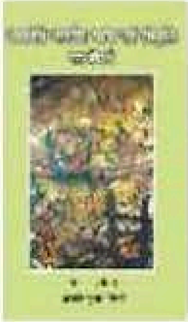
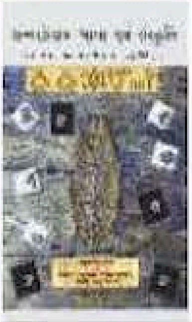
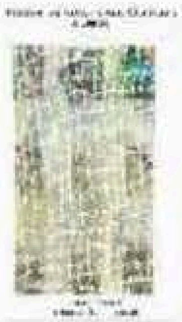
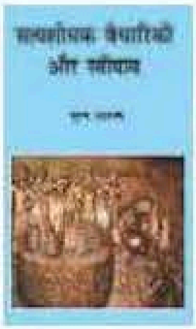
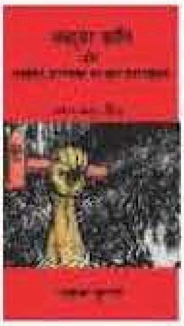

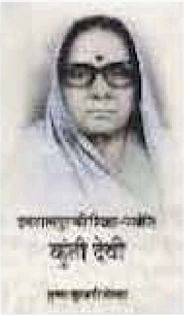

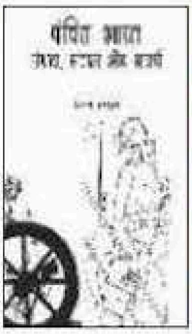
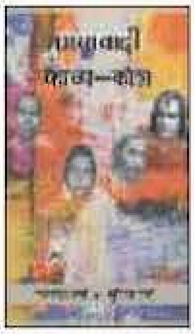
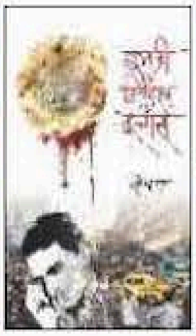

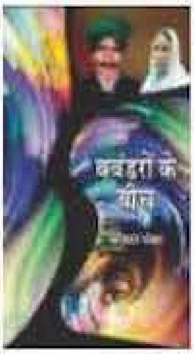

The Marginalised Publication

द मार्जिनलाइज्ड पब्लिकेशन बी-104, अणसल्ला अपार्टमेंट्स, सेक्टर-9, गाजियाबाद, उ.प्र.-201012
पंजीकृत कार्यालय, सालोडाहि, वर्धा महाराष्ट्र-442001
ईमेल : themarginalised@gmail.com संपर्क : +91-9968527911, 9650164016, 8130284314

eBook available

2022 स्त्री-विमर्श का त्रैमासिक अंक : 3-4

स्त्रीकाल

(स्त्री का समय और सच)

संपादक

संजीव चंदन : 8130284314

संपादक मंडल

डॉ. अनुपमा गुप्ता	:	9422903102
राजीव सुमन	:	9650164016
मनोरमा	:	9916288838
अरुण कुमार	:	8591836826
नूतन मालवी	:	9325222427
दीप्ति शर्मा	:	8851924739

प्रबंध संपादक

अशोक मेश्राम : 07709461649

आवरण एवं लेआउट

हिम्म्त सिंह एवं दिनेश कुमार

भाषा एवं वर्तनी

अरुण

आवरण चित्र

शाहीन बाग की दादी बिल्किस

इस पत्रिका के शोध आलेखों के लिए पीयर रिव्यू–विशेषज्ञों के नाम www.streekaal.com देखें

संपादकीय संपर्क

The Marginalised , an Institute for Alternative Research & Media Studies, c/o Ashok D. Meshram, Sanewadi Wardha, Maharashtra, 442001

Delhi Office : B-104, Jansatta Apartments, Sector-9, Vasundhara, Ghaziabad, U.P.-201012

Email : themarginalised@gmail.com

Mobile : 8130284314, 9650164016

सहयोग राशि

भारतीय पाठकों के लिए

व्यक्तिगत

एक प्रति : 100 रुपये

वार्षिक : 320 रुपये

आजीवन : 3000 रुपये

संस्थागत

वार्षिक : 500 रुपये

आजीवन : 5000 रुपये

भारत से बाहर के पाठकों के लिए

वार्षिक : $ 50

आजीवन : $ 500

चैक/ड्राफ्ट द्वारा भुगतान पर 50 रुपये अतिरिक्त भेजें।

बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक *'The Marginalised'* के नाम भेजें।

अथवा

www.streekaal.com के डोनेशन कॉलम से ऑनलाइन भुगतान करें।

या निम्न खाते में डालें

The Marginalised
CANARA BANK
BRANCH : BARBADI, WARDHA, MAHARASHTRA
A/C No. 3792201000016
IFSC : CNRB0003792

स्वामी-प्रकाशक-मुद्रक : संजीव कुमार चंदन द्वारा विकास कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स से मुद्रित।
मुद्रक का पता : विकास कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स, मकान नं.-33, सेक्टर ए-5/6, यूपीएसआयीडीसी एरिया, ट्रोनिका सिटी, लोनी, गाजियाबाद, (यूपी)
प्रकाशकीय पता : बी-104, जनसत्ता अपार्टमेंट्स, सेक्टर-9, गाजियाबाद, उ.प्र.-201012 (संपादक : संजीव चंदन)
(प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक की उनसे कोई अनिवार्य सहमति नहीं बनती। पत्रिका से जुड़े सभी व्यक्ति अवैतनिक हैं।)
पत्रिका से संबंधित सभी मामले दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।

इस अंक में

संपादकीय

- **समता, स्वातंत्र्य और अधिकार : महिला-नागरिकता की नींव** **03**

आलेख

- **भारतीय स्त्री अधिकार : एक ऐतिहासिक यात्रा :** हेमलता महिश्वर 07
- **नागरिकता, समता और अधिकार के संघर्ष अभी जारी हैं :** मनोरमा 13
- **संविधान और स्त्री प्रश्न :** विभूति पटेल 18

सदन से

- **बिहार में स्त्री मताधिकार : कांटों की राह से मंजिल तक :** 'निरंजना' से साभार 21

आलेख

- **बिहार : आजादी के पहले दो चुनावों में मुसलमान :** अली अनवर 24
- **न्याय मंदिर : स्त्रियों का प्रवेश वर्जित :** अरविंद जैन 45
- **हिन्दू कोड बिल की गुमनाम हत्या :** शर्मिला रेगे, अनुवाद : डॉ. अनुपमा गुप्ता 29

सदन से

- **हिन्दू कोड बिल : हिन्दू विवाह वैधता विधेयक :** अनुवाद : डॉ. अनुपमा गुप्ता 34
- **मेरी जाति भिन्न है :** डॉ. अम्बेडकर, अनुवाद : डॉ. अनुपमा गुप्ता 38
- **संसद की जनता के प्रति अहम भूमिका और जिम्मेदारी है :** डी. राजा 48

आलेख

- **उजड़ते लोक : समता के अधिकार और स्त्रियां :** भारती वत्स 50
- **हिंदी नवजागरण और स्त्री प्रश्न :** सुरेश कुमार 57
- **भारतेंदु की स्त्री चेतना का स्वरूप, सन्दर्भ : 'बालाबोधिनी' पत्रिका :** अरुण कुमार प्रियम 68

एकांकी

- **महाड़ का एक दिन :** अनिता भारती 72

आलेख

- **महिला सशक्तीकरण के नाम पर 'जेंडर ब्लाइंड' विकास योजनाएँ :** कुसुम त्रिपाठी **75**
- **राष्ट्रहित और आरक्षण :** मुन्नी भारती 84

रपट

- **किस हाल में हैं बोधगया भूमि-मुक्ति आन्दोलन की जमीन मालकिनें! :** संजीव चंदन 87

इतिहास

- **अरुणा, मथुरा, माया, प्रियंका, निर्भया, इमराना को क्या आप जानते हैं! :** दीप्ति शर्मा 88
- **संविधान सभा की महिला सदस्य : एक संक्षिप्त परिचय :** प्रस्तुति : दीप्ति शर्मा 90

आलेख

- **समता अधिकार और राजनीतिक प्रश्न : मैत्रेयी पुष्पा के कथा-साहित्य के संदर्भ में :** ज्योति 93

निकष

- **सिनेमा की नजर से नाज़ी यातना शिविरों की त्रासदी :** डॉ. कनकलता रिद्धि 97

संपादकीय

समता, स्वातंत्र्य और अधिकार : महिला-नागरिकता की नींव

हम अपनी आजादी के 75 वर्ष और एक स्वतंत्र लोकतंत्र होने के भी 70 से अधिक वर्ष पूरे कर चुके। स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश होना कोई आधी रात की घटना नहीं है, इसकी एक प्रक्रिया रही है। बहुत कुछ घटित होता है एक लोकतांत्रिक समाज बनने में। भारत का संविधान ही जो लोकतांत्रिक भारत की रीढ़ है, प्रत्यक्षतः 2 साल 11 महीने में 1949 में देश को आत्मार्पित किया गया और अगले दो महीने बाद लागू हुआ। संविधान भारत के सभी वर्गों के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध है। समता और अधिकार इसका मूल है, लेकिन संविधान के मूल्य और समता उन्मुखी व्यवस्था भी अपना रूप अख़्तियार करने में कई सालों को अपने भीतर समेटती है। यह परिघटना एक देश और देश के बाहर भी घटती है।

एक लोकतांत्रिक राज्य/देश का अर्थ है कि वहां रहने वाली जनता की सभी इकाइयों को, जाति-जेंडर-वर्ग-नस्ल से परे, अधिकार प्राप्त हों और उनका एक समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सर्वांगीण उन्नयन हुआ हो।

19वीं और 20वीं सदी राष्ट्र और लोकतंत्र के निर्माण के लिहाज से महत्वपूर्ण है। 20वीं सदी के दूसरे-तीसरे दशक में बहुत कुछ महत्पूर्ण घटा है जिसके सौ साल पूरे होने जा रहे हैं, हो चुके हैं। स्त्रियों को मिले मताधिकार, उनको वकालत करने का अधिकार आदि। एक श्रमिक के रूप में भारतीय स्त्रियों को विविध अधिकार मिले, जिनमें से कई बाबा साहेब आंबेडकर के बॉम्बे प्रोविंस में श्रम मंत्री रहते हुए की गयी पहल से सुनिश्चित हुए। जाति और जेंडरगत असमानता दूर करने के बहुत से कदम उठाए गए हैं इन दशकों में, जिसने भारत के लोकतांत्रिक देश होने की प्रस्तावना लिखी।

भारत में महिला मताधिकार की मांग ने जोर पकड़ा 1918 में जब ब्रिटिश सरकार ने अपनी महिला नागरिकों को सीमित मताधिकार दिये, यानी संपत्ति और शिक्षा के आधार पर। लेकिन ब्रिटिश उपनिवेशों की महिला नागरिकों को यह अधिकार नहीं मिला।

ब्रिटेन और दुनिया में महिला मताधिकार की वकालत करने वाली पहली महिला अधिकारवादी शख़्सियत थीं, मेरी वोल्स्टन क्राफ्ट, जिनकी1792 में लिखी गयी किताब 'विंडीकेशन ऑफ़ राइट्स ऑफ़ वीमेन' ने महिला अधिकार के विचार की नीव रखी। महिला मताधिकार के विचार को जॉन स्टुअर्ट मिल और उनकी जीवन साथी हैरिएट मिल ने 1850 में आगे बढ़ाया। इसके बाद यह एक आंदोलन बन गया।

भारत के मद्रास में मारग्रेट कजिन्स ने वीमेंस इंडियन असोसिएशन के गठन की पहल की और एनी बेसेंट की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ, जो स्त्रियों के मताधिकार सहित विविध अधिकारों पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध था। एस अम्बुजामल, कमलादेवी चटोपाध्याय, हेराबाई टाटा आदि भारतीय सदस्य थीं। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में 14 स्त्रियों का एक डेलिगेशन मॉन्टेग्यू से मिला। इस डेलिगेशन ने महिला मताधिकार की मांग की, लेकिन जब 1918 में सुधार की संस्तुतियां सामने आयीं तो महिला मताधिकार उनमें शामिल नहीं था। इसके बाद असोसिएशन और इन महिला अधिकारवादियों ने अलग-अलग आवेदन देने शुरू किये। तब प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'स्त्री धर्म' में वे आवेदन छापे गए।

1919 तक स्त्रियों के संघर्ष जारी रहे। जब 1919 के दिसंबर में गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया एक्ट लागू हुआ तो उसमें यद्यपि केंद्रीय स्तर पर महिला मताधिकार का प्रावधान नहीं था, लेकिन राज्यों पर इसे छोड़ दिया गया था कि वे चाहें तो लागू करें। 1919 में ही मद्रास ने म्यूनिसिपल कॉउन्सिल में स्त्रियों को सीमित मताधिकार दिया, लेकिन उन्हें चुनाव में खड़ा होने का अधिकार नहीं दिया। तब पुरुषों को भी सीमित मताधिकार थे, लेकिन वे चुनाव में खड़े हो सकते थे। स्त्रियों ने पुरुषों के बराबर मताधिकार का संघर्ष जारी रखा। 1920 में त्रावणकोर और झालवार स्टेट में मताधिकार मिला। लेकिन 1921 में पहली बार मद्रास प्रेसिडेंसी ने चुनाव लड़ने के अधिकार पर रोक को भी खत्म कर दिया। उसके बाद बॉम्बे सहित अन्य राज्यों में बारी-बारी से सीमित महिला मताधिकार मिला।

1950 में भारत में संविधान लागू होने के साथ पुरुषों और स्त्रियों, दोनों को वयस्क मताधिकार मिला, जिसमें समान रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार भी शामिल था। इस अंक में बिहार प्रांत में महिला मताधिकार को लेकर हुई बहस और उस पर वोटिंग का संक्षिप्त विवरण देते हुए एक आलेख भी शामिल है।

आज शायद ही कोई विश्वास करे कि 1923 तक भारत में स्त्रियों को वकालत करने की अनुमति नहीं थी, वे सिर्फ वकालत की पढ़ाई तो कर सकती थीं। हरि सिंह गौड़ के प्रयासों से 1923 में स्त्रियों ने यह अधिकार पाया। यद्यपि 1921 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कॉर्नेलिया सोराबजी को इस आधार पर वकालत की अनुमति दी थी कि वे लंदन से बैरिस्टर थीं। इसके पहले रगीना गुहा और सुधांशुबाला ने कोलकाता और पटना के उच्च न्यायालयों में आवेदन कर वकालत के अधिकार की लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें धर्मशास्त्रों और अन्य हवालों से मना कर दिया गया। इस संदर्भ में अरविन्द जैन का लेख इस अंक में शामिल है।

ऐसे ही अनेक अधिकार स्त्रियों, दलितों और अन्य वंचित समूहों ने इन 100 सालों में धीरे-धीरे हासिल किये हैं। 1950 में संविधान के जरिये हर नागरिक क़ानून और राज्य के लिए बराबर